

4/11/2021
23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
अक्षय सिंह पुत्र केशू जाति रावणा राजपुर सा. मण्डावरा	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 180/2021 GCMS No. 2021/878

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

23/11/2021

वादी श्री अक्षय सिंह पुत्र केशू जाति रावणा राजपुर निवासी मण्डावरा द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत मण्डावरा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073:76 ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा के खाता नम्बर 130 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि अक्षय सिंह पुत्र केशू जाति रावणा दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम अक्षय सिंह पुत्र केशू जाति रावणा राजपुर है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरुप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 400986370123 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी मण्डावरा भू.अ.नि. मण्डावरा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

767-749



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)